उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९६५)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १८ फरवरी, १९६५ ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक ३ मार्च, १९६५ ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक १८ मार्च, १९६५ ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक २० मार्च, १९६५ ई० को प्रकाशित हुआ।]

विशेष पुलिस दल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संघटन, अधीक्षण तथा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

सतर्कता अधिष्ठान का संघटन तथा अधिकार

२—(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार धारा ३ के अधीन विज्ञापित अपराधों का अनुसंधान करने के लिए एक विशेष पुलिस दल संघटित कर सकती है जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा।

(२) किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसंधान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसन्धान करने के सम्बन्ध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त वे राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।

(३) उक्त अधिष्ठान का उप-निरीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उपधारा (२) के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में, उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने, के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करे तो वह अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का संपादन करने के लिए थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक १५ फरवरी, १९६५ ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।]

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधों का अनुसन्धान किया जाना

३—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका अनुसन्धान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो ।

सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन

४—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

(२) उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहित होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगा और वह उक्त अधिष्ठान के संबंध में, राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे ।

(३) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस ऐक्ट, १८६१ और तदधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध जैसे कि वे राज्य के सामान्य पुलिस दल के सम्बन्ध में लागू होते हों उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्तन अथवा लोप के रूप में हों, लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनमें इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत किये जायें ।

निरसन तथा अपवाद

५—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है ।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम ५ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९० जनरल (लेग) (हिन्दी)—१९६५—१,७९० ।

THE UTTAR PRADESH VIGILANCE ESTABLISHMENT ACT, 1965

(U. P. ACT NO. VII OF 1965)

(*Authoritative English text of the Uttar Pradesh Satarkata Adhishthan Adhiniyam 1965.)

AN

ACT

to make provision for the constitution, superintendence and administration of the Uttar Pradesh Vigilance Establishment as a special police force.

IT IS HEREBY enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Vigilance Establishment Act, 1965.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Constitution and powers of the Vigilance Establishment.

2. (1) Notwithstanding anything in the Police Act, 1861, the State Government may constitute a special police force to be called the Uttar Pradesh Vigilance Establishment for the investigation of offences notified under section 3.

(2) Subject to any orders which the State Government may make in this behalf, members of the said establishment shall have, in relation to the investigation of such offences and arrest of persons concerned in such offences, all the powers, duties, privileges and liabilities which police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State have in connexion with investigation of offences, and shall for purposes of conferment of powers under any law for the time being in force be deemed to be police officers holding corresponding ranks in the ordinary police force of the State.

(3) Any member of the said establishment of or above the rank of Sub-Inspector may, subject to any orders which the State Government may make in this behalf, exercise, in discharging his functions under sub-section (2), any of the powers of the officer-in-charge of a police station in the area in which he is for the time being and when so exercising such powers shall, subject to any such orders as aforesaid, be deemed to be an officer-in-charge of a police station discharging the functions of such an officer within the limits of his station.

[*For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated February 15, 1965.]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 18, 1965 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 3, 1965.]

[Received the Assent of the President on March 18, 1965 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated March 20, 1965.]

Offences to be investigated by the Vigilance Establishment.

3. The State Government may, by notification in the *Gazette*, specify the offences or classes of offences which are to be investigated by the Uttar Pradesh Vigilance Establishment.

Superintendence and administration of the Vigilance Establishment.

4. (1) The superintendence of the Uttar Pradesh Vigilance Establishment shall vest in the State Government.

(2) The administration of the said establishment shall vest in an officer, to be called the Director of Vigilance, appointed in this behalf by the State Government, who shall exercise, in respect of that establishment, such of the powers exercisable by the Inspector General of Police in respect of the ordinary police force of the State as the State Government may specify in this behalf.

(3) Save as otherwise provided in this Act the provisions of the Police Act, 1861 and of the rules and regulations made thereunder as they apply in relation to members of the ordinary police force of the State shall apply in relation to members of the said establishment, subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as may be made therein by the State Government consistently with the purposes of this Act.

Repeal and saving.

5. (1) The Uttar Pradesh Vigilance Establishment Ordinance, 1965, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had commenced on the fifth day of January, 1965.

PSUP—A. P. 89 Genl. (Leg.)—1965. 1,808. (M)